


सुवा बनाम हीतर वगैरे
 हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
 प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधे. मु.न. - 7 / (2006)


25.4.22

पत्रावली पेश
 वकूलाय उभय पक्षकारान
 हाजरी व अदम पैरवी में खारीज की जाती है।
 दिवांक 20-7-22 का नर ही।



20.07.2022

पत्रावली आज पेश हुई। वकूलाय उभय पक्षकारान अनुपस्थित। प्रकरण में कोर्ट समाप्ति तक रूक-रूक कर बार-बार आवाज दिलवाई गई। वकूलाय उभय पक्षकारान में से कोई हाजिर अदालत नहीं आये है। अतः वकूलाय उभय पक्षकारान की अनुपस्थिति में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारीज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।


 (दिलीप सिंह)
 उपखण्ड अधिकारी
 श्रीमाधोपुर (सीकर)

